न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–42/17

1. सूरजन सिह,
2. भीमासिंह, पुत्रान स्व. ओनाड सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. सरपंच, ग्राम पंचायत रामपुरा पंचायत समिति आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
02. प्रहलाद सिंह पुत्र धनसिंह,
03. भगवान सिंह पुत्र उम्मेद सिंह,
04. फोरी देवी पुत्री उम्मेद सिंह, पत्नी जितेन्द्र सिंह,
05. जगना उर्फ नार्ग देवी पुत्री उम्मेदसिंह पत्नी महेशसिंह,
06. मु. ज्यानाकंवर पत्नी गोपाल सिंह,
07. पिंकी पुत्र गोपाल सिंह,
08. शैतान सिंह,
09. जसराज सिंह,
10. बलबीरसिह,
11. जोगेन्द्र सिंह, पुत्रान गोपाल सिंह,
12. सुनीता कंवर पुत्री गोपाल सिंह,
13. मन्जू कंवर पुत्री गोपाल सिंह, समस्त जाति राव राजपूत निवासी ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. अनोपकंवर पुत्री धनसिंह हाल निवासी ग्राम सूरज निवारी पोस्ट साडास वाया हमीरगढ, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
15. मन्ना कंवर पुत्री धनसिंह हाल निवासी ग्राम सूरज निवासी पोस्ट साडास वाया हमीरगढ जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
16. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 28.12.2016 (प्रकरण संख्या 4/12) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि साबिका खसरा नम्बर 162 रकबा 43 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर में स्थित है, उक्त आराजी फूला पुत्र अगर, भंवर पुत्र दुर्गालाल, ईशर पुत्र रोज, बैरीसाल पुत्र जोदूलाल, कानजी पुत्र गंगालाल उर्फ गंगू सिंह देवीलाल पुत्र गोकूल सिंह के नाम खातेदारी में थी जिन्होने कन्हैयालाल पुत्र जानकीलाल महाजन निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर को रहन रख दी थी तथा ऋण राशि अन्दर मियाद अदा नही करने पर रहनग्रहिता उपरोक्त ने देवीलाल व अन्य खातेदारान की उक्त भूमि को 141 रूपये में अपीलान्ट के पिता को बेचान कर दिया था तब से अपीलान्ट

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है लेकिन देवीलाल ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज का फायदा उठाते हुये नुमायशी विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्टस के पूर्वज धनसिंह पुत्र बजरंग सिंह को बेनामी बेचान कर दी जिसके आधार पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत उक्त विक्रय पत्र नुमायशी के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 15.12.1978 बहक रेस्पोडेन्ट के पूर्वज धनसिंह पुत्र बजरंग सिंह तस्दीक कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 15.12.1978 के विरूद्ध जरिये अपील चुनौती दी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को मैरिट्स पर निस्तारित किये बगैर मियाद के बिन्दू पर विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मामले हाजा की गस्तविक स्थिति को समझे बगैर व धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन व अपील में वर्णित वास्तविक तथ्यों को दरकिनार कर मियाद के तकनिकी बिन्दू पर अपील अपीलान्ट खारिज करने में भयंकर कानूनी गलती की है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को धारा 5 मियाद अधिनियम में उदार रूप से निर्णय लेना चाहिये था, उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में धारा 5 मियाद अधिनियम में उदार रूप से निर्णय किये जाने की मंशा जाहिर की है ताकि प्रभावित पक्षकार को न्याय मिलने में तकनिकी बांधा आड़े नही आये, अपीलान्ट की ओर से उक्त संदर्भ में कानूनी नजीरें भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ध्यान इस ओर आकृषित किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक का इस्तेमाल किये बगैर उदर रूप की जगह कठोर रूप अख्तियार कर मियाद के तकनिकी बिन्दु पर अपील अपीलान्ट खारिज करने मे भयंकर कानूनी गलती की है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी मुतालिक सन् 1988 से सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से वाद घोषणा का विचाराधीन है जिसमें अपीलान्ट का प्राईमाफेस केस होने की वजह से स्थगन आदेश भी जारी है, रेगुलर वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी इस तथ्य को दरकिनार कर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.16 व पत्रावली संख्या 4/12 व नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 15.12.1978 को खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकेन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण के विरूद्ध लगभग 32 वर्ष असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई तथा उक्त इतने लम्बे असाधारण विलम्ब को क्षमा करने के लिये में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस आधार

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपलब्ध नही थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।